

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी :- प्रीतम कुमार आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना-पत्र संख्या :- 07/2026

जीसीएमएस सं. :- 2026/10

प्रार्थी:-

जालाराम पुत्र श्री गोगाराम, जाति -विश्नोई, निवासी -ग्राम माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:-

1. अशोक पुत्र श्री भाखरराम,
2. प्रेमराम पुत्र श्री भाखरराम,
3. बंशीलाल पुत्र श्री भाखरराम,
4. राजूराम पुत्र श्री भाखरराम,
5. शैतानराम पुत्र श्री भाखरराम, सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- कानावास का पाना, माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

::- आदेश ::-

दिनांक 23/3/26

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पी.आर. प्रजापत उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी सं. 6 की ओर से सरकारी परोकार।

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा ग्राम माणकलाव, पटवार हल्का माणकलाव निरीक्षक क्षेत्र भू-अभिलेख माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नम्बर 100 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 101/1 रकबा 0.8337 हैक्टेयर किस्म चाही-।।। कृषि भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि आई है, जिस पर प्रार्थी खातेदार मालिक काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर 100 व 101/1 की कृषि भूमि के पड़ोस में अप्रार्थी संख्या-1 से 5 की खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 96 रकबा 5.6656 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के मध्य पत्थरगढी नही होने से कणे-मांठ को लेकर पड़ोसी खातेदारों (अप्रार्थी संख्या-1 से 5) से हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस कारण माननीय



उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर (उत्तर)

न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना-पत्र पेश करना पड़ रहा है। अप्रार्थीगण धन-धनाढ्य वाले व राजनीतिक पहुंच वाले हैं तथा संख्या में ज्यादा है तथा प्रार्थी काश्तकार है, उनकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण द्वारा जबरन खुरद बुर्द कर अपने कब्जे काश्त में मिलाया जा रहा है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी की विना इजाजत के उनके कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि को खुरद बुर्द व नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने पर पटवारी माणकलाव द्वारा मौका फर्द तैयार की गई, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा नाप-चौक करने से मना किया और विरोध किया, जिस पर यह प्रार्थना-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। फर्द मौका रिपोर्ट वास्ते मुलायजा साथ संलग्न है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण के नोटिस दिनांक 04.02.2026 को विविधत् पूर्ण तामिल होने के उपरांत भी अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थिति नहीं दी गई तथा इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार जोधपुर से तहरीर जारी की गई। तहसीलदार जोधपुर से पत्रांक 1247 दिनांक 16.02.2025 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 101/1 रकबा 0.8337 हैक्टेयर वर्तमान में खातेदार जालाराम पुत्र गोगाराम जाति विश्‍नोई के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 101/1 रकबा 0.8337 हैक्टेयर जो मूल खसरा संख्या 101 से अलग हुआ है जो 101 व 101/2 के बीच में स्थित है इसका रकबा मौके व रेकर्ड में भिन्नता होने के कारण वादी जालाराम पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है, उक्त भूमि विवादग्रस्त होने के कारण भौतिक रूप से सीमांकन किया जाना संभव नहीं।

प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं बहस के दौरान दिये गये तर्कों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र सद्भाविक रूप से अपने खातेदारी की भूमि खसरा सं. 100, 100/1 की भूमि के सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी हेतु अधिनियम की मंशा के अनुरूप विवाद के निवारण हेतु प्रस्तुत किया है। मौके पर खसरा सं.100, 100/1 एवं खसरा सं. 96 के मध्य माठ को लेकर विवाद है। तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 100 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 101/1 रकबा 0.8337 हैक्टेयर मौजा ग्राम माणकलाव, पटवार हल्का माणकलाव निरीक्षक क्षेत्र भू-अभिलेख माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर के पड़ोसी खातेदार खसरा सं. 96 के पक्षकारों को सूचित करते हुए सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आप स्वयं मौके पर जाकर सर्वप्रथम सीमाज्ञान एवं तत्पश्चात् सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी कर मुताम कायम करे एवं पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे। साथ ही




  
उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर (उत्तर)



of  
K

तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगद्दी कायम किये जाते वक्त पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर नियमानुसार पुलिस इमदाद के साथ आदेश की पालना की जावें।

  
(प्रीतम कुमार) IAS  
उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर (उत्तर)  
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 23/3/26..... को खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।



  
(प्रीतम कुमार) IAS  
उपखण्ड अधिकारी  
जोधपुर (उत्तर)  
जोधपुर (उत्तर)